इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 551] भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 10, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-24-9-2010-एक-10.—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन 2-3 दिसम्बर, 1984 की दरमियानी रात को यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लिमिटेड की भोपाल इकाई से हुई जहरीली गैस का रिसाव की घटना की न्यायिक जांच के लिये आयोग के गठन से संबंधित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका-4 के अंतिम वाक्यांश "इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 माह के भीतर" के स्थान पर "दिनांक 24 फरवरी 2015 तक" स्थापित किया जाये.

2. राज्य शासन द्वारा आयोग के अनुरोध पर आयोग का कार्यकाल अंतिम बार दिनांक 24 फरवरी 2015 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है. इस अवधि में आयोग अपना अंतिम प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-24-9-2010-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की उक्त समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 1 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

Bhopal, the 1st December 2014

No. F. 24-09-2010-One-10.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952) the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification of even No. Dated 25th August, 2010, regarding the constitution of Inquiry Commission in connection with the incident of leakage of toxic gas in the midnight of 2nd/3rd December, 1984 from the plant of Union Carbide (India) Ltd., Bhopal:—

AMENDMENT

In the said Notification, in last sentence of para 4, for the words " within six months of the date of publication of this Notification" the words "upto 24th February 2015" Shall be substituted.

2. On the request of the Commission the State Government has decided to extend the tenure of the Commission for the last time till 24th February 2015 During this period the Commission can submit it's final Report to the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH KOUL, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.